न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/63 (प्राथमिक डिक्री) **दायरा दिनांक : 03.06.2024**

उनवान

1– मयंक पुत्र हुकम चन्द
2– दामोदर पुत्र पांचूलाल
3– राकेश कुमार पुत्र रमेश चन्द
जाति मीणा, हाल निवासी झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान – अपीलांट्स

बनाम

1– राजेन्द्र कुमार मीणा आत्मज श्री घनश्याम मीणा जाति मीणा निवासी खण्डिया कॉलोनी झालावाड, तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान
2– अजोद बाई पुत्री भवरलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
3– कमला बाई पत्नी राधेश्याम जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
4– गोविन्द पुत्र भंवरलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
5– चम्पी बाई पत्नी स्वर्गीय डालू जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
6– जगन्नाथ पुत्र भंवरलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
7– पूरीलाल पुत्र भंवरलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
8– भैरूलाल पुत्र डालू जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
9– मुकेश पुत्र. राधेश्याम जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
10– मांगीलाल पुत्र मैरी बाई जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
11– रेखा पुत्री राधेश्याम जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
12– रमकू बाई पत्नी स्वर्गीय भंवरलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
13– राकेश पुत्र राधेश्याम जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
14– कृष्णा बाई पुत्री घांसीलाल पत्नी दुर्गालाल जाति भील निवासी कोतला गट्टी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान
15– काली बाई पुत्री घांसीलाल पत्नी रामलाल जाति भील निवासी भोई मोहल्ला झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड
16– दुर्गालाल पुत्र घांसीलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
17– देवकरण पुत्र घांसीलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
18– नाथी बाई पुत्री डालू पत्नी चम्पालाल जाति भील निवासी रूपारेल तहसील असनावर जिला झालावाड
19– प्रेम बाई पत्नी स्वर्गीय घांसीलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
20– बाली बाई पुत्री घासीलाल पत्नी नन्दा जाति भील निवासी पुरानी असनावर भील बस्ती तहसील असनावर जिला झालावाड
21– भेरी बाई पुत्री रतन जाति भील निवासी रलायता तहसील असनावर जिला झालावाड मृतक जरिये कायम मुकामान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

21/1– सत्यनारायण पुत्र मैरी बाई जाति भील निवासी ग्राम खण्डिया तहसील झालरापाटन जिला झालावाड

21/2– फेफूलीबाई पुत्री भैरी बाई पत्नी प्रकाश जाति भील निवासी बूढ मण्डावर तहसील असनावर जिला झालावाड

21/3– पूरी बाई पुत्री भैरी बाई पत्नी बृजराज जाति भील निवासी बांसखेडा तहसील खानपुर जिला झालावाड

22– मथरी बाई पुत्री डालू पत्नी प्रभूलाल जाति भील निवासी छोटी रायपुर तहसील झालरापाटन जिला झालावाड

23– मांगीलाल पुत्र रतन जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन जिला झालावाड

24– संतोष बाई पुत्री घांसीलाल पत्नी रामलाल जाति भील निवासी चादपुरा भीलान तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

25– रोडीबाई पत्नी प्रभूलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन

26– प्रबन्धक ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा झालरापाटन जिला झालावाड

27– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब झालावाड राजस्थान तहसील झालरापाटन जिला

–रेस्पोडेन्टस

अपील संख्या 2024/64 (काउण्टर क्लेम) **दायरा दिनांक : 03.06.2024**

उनवान

1– मयंक पुत्र हुकम चन्द

2– दामोदर पुत्र पांचूलाल

3– राकेश कुमार पुत्र रमेश चन्द

जाति मीणा, हाल निवासी झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान

– अपीलांट्स

बनाम

1– राजेन्द्र कुमार मीणा आत्मज श्री घनश्याम मीणा जाति मीणा निवासी खण्डिया कॉलोनी झालावाड, तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान

2– अजोद बाई पुत्री भवरलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन

3– कमला बाई पत्नी राधेश्याम जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन

4– गोविन्द पुत्र भंवरलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन

5– चम्पी बाई पत्नी स्वर्गीय डालू जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन

6– जगन्नाथ पुत्र भंवरलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन

7– पूरीलाल पुत्र भंवरलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन

8– भैरूलाल पुत्र डालू जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन

9– मुकेश पुत्र. राधेश्याम जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन

10– मांगीलाल पुत्र मैरी बाई जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन

11– रेखा पुत्री राधेश्याम जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन

12– रमकू बाई पत्नी स्वर्गीय भंवरलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन

13– राकेश पुत्र राधेश्याम जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन

14– कृष्णा बाई पुत्री घांसीलाल पत्नी दुर्गालाल जाति भील निवासी कोतला गट्टी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

15– काली बाई पुत्री घांसीलाल पत्नी रामलाल जाति भील निवासी भोई मोहल्ला झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड
16– दुर्गालाल पुत्र घांसीलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
17– देवकरण पुत्र घांसीलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
18– नाथी बाई पुत्री डालू पत्नी चम्पालाल जाति भील निवासी रूपारेल तहसील असनावर जिला झालावाड
19– प्रेम बाई पत्नी स्वर्गीय घांसीलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
20– बाली बाई पुत्री घासीलाल पत्नी नन्दा जाति भील निवासी पुरानी असनावर भील बस्ती तहसील असनावर जिला झालावाड
21– भेरी बाई पुत्री रतन जाति भील निवासी रलायता तहसील असनावर जिला झालावाड मृतक जरिये कायम मुकामान
21/1– सत्यनारायण पुत्र मैरी बाई जाति भील निवासी ग्राम खण्डिया तहसील झालरापाटन जिला झालावाड
21/2– फेफूलीबाई पुत्री भैरी बाई पत्नी प्रकाश जाति भील निवासी बूढ मण्डावर तहसील असनावर जिला झालावाड
21/3– पूरी बाई पुत्री भैरी बाई पत्नी बृजराज जाति भील निवासी बांसखेडा तहसील खानपुर जिला झालावाड
22– मथरी बाई पुत्री डालू पत्नी प्रभूलाल जाति भील निवासी छोटी रायपुर तहसील झालरापाटन जिला झालावाड
23– मांगीलाल पुत्र रतन जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन जिला झालावाड
24– संतोष बाई पुत्री घांसीलाल पत्नी रामलाल जाति भील निवासी चादपुरा भीलान तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड
25– रोडीबाई पत्नी प्रभूलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
26– प्रबन्धक ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा झालरापाटन जिला झालावाड
27– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब झालावाड राजस्थान तहसील झालरापाटन जिला

–रेस्पोडेन्टस

अपील संख्या 2024/79 (फाईनल डिक्री) **दायरा दिनांक : 18.06.2024**

उनवान

1– मयंक पुत्र हुकम चन्द
2– दामोदर पुत्र पांचूलाल
3– राकेश कुमार पुत्र रमेश चन्द
जाति मीणा, हाल निवासी झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान

– अपीलांट्स

बनाम

1– राजेन्द्र कुमार मीणा आत्मज श्री घनश्याम मीणा जाति मीणा निवासी खण्डिया कॉलोनी झालावाड, तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान
2– अजोद बाई पुत्री भवरलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

3– कमला बाई पत्नी राधेश्याम जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
4– गोविन्द पुत्र भंवरलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
5– चम्पी बाई पत्नी स्वर्गीय डालू जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
6– जगन्नाथ पुत्र भंवरलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
7– पूरीलाल पुत्र भंवरलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
8– भैरूलाल पुत्र डालू जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
9– मुकेश पुत्र. राधेश्याम जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
10– मांगीलाल पुत्र मैरी बाई जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
11– रेखा पुत्री राधेश्याम जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
12– रमकू बाई पत्नी स्वर्गीय भंवरलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
13– राकेश पुत्र राधेश्याम जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
14– कृष्णा बाई पुत्री घांसीलाल पत्नी दुर्गालाल जाति भील निवासी कोतला गट्टी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान
15– काली बाई पुत्री घांसीलाल पत्नी रामलाल जाति भील निवासी भोई मोहल्ला झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड
16– दुर्गालाल पुत्र घांसीलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
17– देवकरण पुत्र घांसीलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
18– नाथी बाई पुत्री डालू पत्नी चम्पालाल जाति भील निवासी रूपारेल तहसील असनावर जिला झालावाड
19– प्रेम बाई पत्नी स्वर्गीय घांसीलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
20– बाली बाई पुत्री घासीलाल पत्नी नन्दा जाति भील निवासी पुरानी असनावर भील बस्ती तहसील असनावर जिला झालावाड
21– भेरी बाई पुत्री रतन जाति भील निवासी रलायता तहसील असनावर जिला झालावाड मृतक जरिये कायम मुकामान
21/1– सत्यनारायण पुत्र मैरी बाई जाति भील निवासी ग्राम खण्डिया तहसील झालरापाटन जिला झालावाड
21/2– फेफूलीबाई पुत्री भैरी बाई पत्नी प्रकाश जाति भील निवासी बूढ मण्डावर तहसील असनावर जिला झालावाड
21/3– पूरी बाई पुत्री भैरी बाई पत्नी बृजराज जाति भील निवासी बांसखेडा तहसील खानपुर जिला झालावाड
22– मथरी बाई पुत्री डालू पत्नी प्रभूलाल जाति भील निवासी छोटी रायपुर तहसील झालरापाटन जिला झालावाड
23– मांगीलाल पुत्र रतन जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन जिला झालावाड
24– संतोष बाई पुत्री घांसीलाल पत्नी रामलाल जाति भील निवासी चादपुरा भीलान तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड
25– रोडीबाई पत्नी प्रभूलाल जाति भील निवासी रलायता तहसील झालरापाटन
26– प्रबन्धक ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा झालरापाटन जिला झालावाड

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

27– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब झालावाड़ राजस्थान तहसील झालरापाटन जिला –रेस्पोडेन्टस

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1 की ओर से,
श्री चन्द्र प्रकाश खेण्डेलवाल, अभिभाषक रेस्पो0 कम 14,ल0 17,19,20 व 24 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 10.01.2025

ये तीनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये तीनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या 770/दावा/2019 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.05.2024 तथा निर्णय एवं फाईनल डिक्री दिनांक 23.05.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम रलायता पटवार हल्का खानपुरिया तहसील झालरापाटन में खाता संख्या 95 के अनुसार आराजी खसरा नं. 156/561 रकबा 1.0622 हैक्टर, खाता संख्या 255 के अनुसार आराजी खसरा नं. 265 रकबा 1.3530 हैक्टर, खाता संख्या 96 के अनुसार आराजी खसरा नं. 160 रकबा 0.9357 हैक्टर, खसरा नं. 161 रकबा 2.7693 हेक्टर, खसरा नं. 167 रकबा 0.4173 हेक्टर, खसरा नं. 64 रकबा 0.8093 हैक्टर कुल किता 4 रकबा 4.9316 हेक्टर, खाता सख्या 257 के अनुसार आराजी खसरा नं. 966/266 रकबा 1.1254 हेक्टर, खाता संख्या 251 के अनुसार आराजी खसरा नं. 162 रकबा 0.7840 हेक्टर, खसरा नं. 163 रकबा 0.5690 हेक्टर, खसरा नं. 164 रकबा 0.6449 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 1.9979 हैक्टर आराजी सह खातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालरापाटन ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.05.2024 से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री दिनांक 23.05.2024 जारी की, जिनसे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह तीनों अपीले पेश की।

अपील संख्या 2024/63 में अपीलांट ने कथन किया कि ग्राम रलायता तहसील झालरापाटन जिला झालावाड जमाबन्दी सम्वत 2075 से 78 खाता संख्या नया 95 के खसरा नम्बर 156/561 रकबा 1.0622 हैक्टर, खाता संख्या 255 के खसरा नम्बर 265 रकबा 1.3530 हेक्टर, खाता संख्या 96 की कुल 4 किता की रकबा 4.9316 हैक्टर खाता संख्या 257 के खसरा नम्बर 866/266 रकबा 1.1224 हैक्टर, खाता संख्या 251 की कुल 3 किता रकबा 1.9979 हेक्टर, भूमि वादी एवं प्रतिवादीगणो के सहखातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद के क्रम नम्बर 2 में आराजी संयुक्त खाते मे होना स्वीकार है, परन्तु रेस्पोडेन्ट क्रम 15, 16 17, 18, 21, 22 व 26 ने प्रत्येक ने अपना 1/56 हिस्सा कुल 1/8 हिस्सा अपीलान्ट मंयक को दिनांक 16.07.2019 को विधिवत

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रूप से रजिस्टर्ड बेचान करके कब्जा सम्भला दिया और अपीलान्ट मंयक आराजी के 1/8 हिस्से का कानूनन खातेदार हो गया है। इसी प्रकार से अपीलान्ट नम्बर 2 दामोदर भी उपरोक्त आराजी में 1/8 हिस्से का खातेदार है। इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित कुल आराजियात में अपीलान्ट नम्बर 1 मंयक एवं अपीलान्ट नम्बर 2 दामोदर 1/4 हिस्से के कानूनन खातेदार हो गये है। परन्तु उक्त कानूनी बिन्दुओ पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर न ही करके अपने अधिकारो से परे जाकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 राजेन्द्र कुमार के पक्ष में प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया है जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है।.

अपीलान्टस ग्राम रलायता तहसील झालरापाटन के खसरा नम्बर मूल खसरा नम्बर 266 एवं नया खसरा नम्बर 966/266 में विगत कई वर्षों से खेती करते हुऐ चले आ रहे है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी बिन्दु पर गौर नही करके रेस्पोडेन्ट राजेन्द्र मीणा को वाद नम्बर 770/19 में गलत तरीके से नाजायज फायदा पहुंचाने के लिये अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारो से परे जाकर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दिनांक 01.05.2024 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया है जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट्स मयंक, दामोदर व राकेश मीणा पूर्व से ही 2017 से मूल खसरा नम्बर 266 जो कि वर्तमान में 966/266 है इस पर सन् 2017 से निरन्तर एवं निर्बाध रूप से सबकी जानकारी में काश्त करते हुए चले आ रहे है और खसरा नम्बर 265 पर भी 966/266 के लगवा आराजी पर हमारा कब्जा है तो उस स्थिति मे अधिनस्थ न्यायालय ने गलत तौर पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 राजेन्द्र कुमार मीणा का दावा डिक्री करके प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया है जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री व निर्णय की आड लेकर राजस्व अधिकारी तहसीलदार झालरापाटन पटवारी एवं कानूनगो पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के दबाव में आकर एन.एच. 52 की अपीलान्ट की कब्जे की आराजी पर जबरन कब्जा करवाना चाहते है जिसका कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार से खसरा नम्बर मूल 266 मे से दामोदर मीणा पुत्र पांचू लाल जी मीणा को जमाबन्दी एवं कब्जा काश्त के अनुसार सक्षम अधिकारी, भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं एस.डी.ओ. साहब के द्वारा दिनांक 24.12.2020 को मुआवजा राशि का भुगतान किया है फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पक्ष मे प्राथमिक डिक्री व निर्णय गलत तोर पर जारी की है इस कारण से उक्त प्राथमिक डिक्री व निर्णय निरस्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय मे पूर्व मे ललिता बाई पत्नि रमेश के द्वारा धारा 53 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट में बंटवारे का दावा पेश किया था, और उक्त दावे का खसरा नम्बर 593/17 था उसको वापिस लिये बिना ही उसके द्वारा राजेन्द्र मीणा को आराजी का बैचान करके नामान्तकरण दिनांक 05.09.2019 को दौराने ट्रायल खुलवा लिया जबकि ललिता पत्नि रमेश ने दिनांक 28.10.2019 को अपना वाद वापस ले लिया उसके बाद दावा राजेन्द्र कुमार मीणा ने विभाजन का पेश किया जिस दावे 770/2019 है जबकि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 राजेन्द्र कुमार मीणा का खसरा नम्बर 966/266 प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कब्जा नहीं था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित करके कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान की तनकीयात 1 लगायत 4 के संबंध में साक्ष्य पक्षकारान लेखबद्ध करना चाहिये था और बहस अन्तिम सुनकर प्रत्येक तनकी का अलग अलग

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय आर्डर 20 रूल 5 सी. पी. सी. के तहत पारित करना चाहिये था। जो उनके द्वारा पारित नहीं किया गया है और गलत तौर पर प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया है जो हर तरह से निरस्त योग्य है। विधि का यह एक सुस्थापित सिद्धान्त है कि जो पक्षकार जिस खसरा नम्बर पर काबिज हो तो उसे उक्त खसरा नम्बर उसके पृथक खाते में दर्ज करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय को पारित करना चाहिये था, परन्तु उन्होने उक्त कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं देकर अपने अधिकारों से परे जाकर प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया है जो हर तरह से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियो को मध्य नजर रखते हुये अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 01.05.24 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील संख्या 2024/64 (काउण्टर क्लेम) में अपीलांट ने कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का डिक्री व निर्णय पत्रावली संग्रह सार एवं विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। ग्राम रलायता तहसील झालरापाटन जिला झालावाड जमाबन्दी सम्बत 2075 से 78 खाता संख्या नया 95 के खसरा नम्बर 156/561 रकबा 1.0622 हैक्टर, खाता संख्या 255 के खसरा नम्बर 265 रकबा 1.3530 हैक्टर, खाता संख्या 96 की कुल 4 किता की रकबा 4.9316 हैक्टर खाता संख्या 257 के खसरा नम्बर 866/266 रकबा 1.1224 हैक्टर, खाता संख्या 251 की कुल 3 किता रकबा 1.9979 हैक्टर, भूमि वादी एवं प्रतिवादीगणो के सहखातेदारी मे दर्ज है।

अधीनस्थ न्यायालय मे वाद के क्रम नम्बर 2 में आराजी संयुक्त खाते मे होना स्वीकार है, परन्तु रेस्पोडेन्ट क्रम 15, 16, 17, 18, 21, 22 व 26 ने प्रत्येक ने अपना 1/56 हिस्सा कुल 1/8 हिस्सा अपीलान्ट मंयक को दिनांक 16.07.2019 को विधिवत रूप से रजिस्टर्ड बेचान करके कब्जा सम्भला दिया और अपीलान्ट मंयक आराजी के 1/8 हिस्से का कानूनन खातेदार हो गया है। इसी प्रकार से अपीलान्ट नम्बर 2 दामोदर भी उपरोक्त आराजी में 1/8 हिस्से का खातेदार है। इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित कुल आराजियात में अपीलान्ट नम्बर 1 मंयक एवं अपीलान्ट नम्बर 2 दामोदर 1/4 हिस्से के कानूनन खातेदार हो गये है। परन्तु उक्त काननी बिन्दुओ पर अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्टस का काउण्टर क्लेम स्वीकार करना चाहिये था, जो उनके द्वारा नहीं करके कानूनी त्रुटि की है इस कारण से योग्य अधीनस्थ न्यायालय का प्राथमिक डिक्री व निर्णय हर तरह से निरस्त होने योग्य है। अपीलान्टस ग्राम रलायता तहसील झालरापाटन के खसरा नम्बर मूल – 266 एवं नया 966/266 में विगत कई वर्षों से खेती करते हुए चले आ रहे है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी बिन्दु पर गौर करके अपीलान्ट का काउण्टर क्लेम स्वीकार करना चाहिये था जबकि रेस्पोडेन्ट राजेन्द्र मीणा को खसरा नम्बर 770/219 में गलत तरीके से नाजायज फायदा पहुँचाने के लिये अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दिनांक 01.05.2024 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया है जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है। अपीलान्टस मंयक दामोदर व राकेश मीणा पूर्व से ही 2017 से खातेदार मूल खसरा नम्बर 266 जो कि वर्तमान में 966/266 है इस पर सन् 2017 से निरन्तर एवं निर्बाध रूप से सबकी जानकारी में काश्त करते हुए चले आ रहे है और खसरा नम्बर 265 पर भी 966/266 के लगवा आराजी पर हमारा ही कब्जा है तो उस परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्टस का काउण्टर क्लेम स्वीकार

(दीपक रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

फरमाया जाना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तौर पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 राजेन्द्र कुमार मीणा का दावा डिक्री करके प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया है जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है। इस प्रकार से खसरा नम्बर मूल 266 में से दामोदर मीणा पुत्र पांचूलाल जी मीणा को जमाबन्दी एवं कब्जे काश्त के अनुसार सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं एस.डी.ओ. साहब झालावाड के द्वारा दिनांक 24.12.2020 को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। जिससे अपीलान्टस का काउण्टर क्लेम पूर्ण रूप से प्रमाणित था। फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पक्ष मे प्राथमिक डिक्री व निर्णय गलत तौर पर जारी की है इस कारण से उक्त प्राथमिक डिक्री व निर्णय निरस्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व मे ललिता बाई पत्नी रमेश के द्वारा 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट बटवारे का दावा प्रस्तुत किया था, और उक्त दावे का नम्बर 593/17 था। उसको वापिस लिये बिना ही उसके द्वारा राजेन्द्र कुमार को बेचान करके नामान्तरकरण दिनांक 05.09.2019 को दोराने ट्रायल खुलवा लिया जबकि ललिता पत्नी रमेश ने दिनांक 28.10.2019 को अपना वाद वापिस ले लिया। उसके बाद दावा राजेन्द्र कुमार मीणा ने विभाजन का पेश किया जिस दावे का नम्बर 770/2019 पेश किया था जबकि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 राजेन्द्र कुमार मीणा का खसरा नम्बर 966/266 प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कब्जा नहीं था तो उस स्थिति में अपीलान्टस का काउण्टर क्लेम पूर्णतया प्रमाणित था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पक्ष में प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित करके कानूनी भूल की है। विधि का यह एक सुस्थापित सिद्धान्त है कि जो पक्षकार जिस खसरा नम्बर पर काबिज हो तो उसे उक्त खसरा नम्बर उसके पृथक खाते में दर्ज करने का आदेश काउण्टर क्लेम अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को पारित करना चाहिये था, परन्तु उन्होंने उक्त कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं देकर अपने अधिकारो से परे जाकर प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया है जो हर तरह से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियो को मध्य नजर रखते हुये स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 01.05.2024 को निरस्त फरमाया जावे, एवं अपीलान्टस का काउण्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे।

अपील संख्या 2024/79 में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फाइनल डिक्री एवं आदेश पत्रावली संग्रह सार एवं विधि के प्रावाधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्टस की गैर मौजूदगी में फाइनल डिक्री एवं आदेश एक तरफा में पारित किया है जो हर तरह से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्टस को एवं अन्य पक्षकारों को को नोटिस जारी किये जाना चाहिए था ओर समस्त पक्षकारों की मौजूदगी में पेपर पाटिशन रिपोर्ट तहसीलदार को सभी पक्षकारों की मौजूदगी में तैयार किये जाने चाहिए था। इस पर अपीलान्टस मयंक मीणा एवं दामोदर मीणा ने पेपर पाटिशन रिपोर्ट पर गौर न करके और ना ही कोई आदेश पारित करके दिनांक 22.05.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में भिजवा दी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.05.2024 को अपने अधिकारो से परे जाकर फाइनल डिक्री व आदेश अवैधानिक तौर पर पारित किया है इस कारण से उक्त फाइनल डिक्री व आदेश निरस्त योग्य है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय को फाइनल डिक्री व आदेश पारित करते समय प्रत्येक पक्षकार की आराजी का रोड की तरफ की साईड का हवाला देकर फाइनल डिक्री एवं आदेश पारित करना चाहिए था जो कि उक्त प्रकरण में नहीं किया गया है इस कारण से उक्त फाइनल डिक्री एवं आदेश कानून निरस्त योग्य है। विधि का यह एक आगामात्मक सिद्धान्त है की तहसीलदार साहब को पक्षकारों की मौजूदगी मे विधिवत विभाजन करते वक्त राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना पक्षकारों की मौजूदगी में करना चाहिए था जो कि उक्त प्रकरण में नही कि गई है इस कारण से भी उक्त फाइनल डिक्री एवं आदेश कानून निरस्त योग्य है।

अपीलान्टस के द्वारा सम्मानीय न्यायालय में प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 01.05.2024 के विरुद्ध दिनांक 20.05.2024 को अपील प्रस्तुत की थी तथा दिनांक 21.05.2024 को बहस प्रार्थना पत्र स्टे बाबत् तारीख दी गई थी परन्तु रेस्पाडेन्ट नं0 1 राजेन्द्र कुमार मीणा की ओर से केविएट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर उनके वकील साहब ने बहस प्रार्थना पत्र बाबत् समय चाहने हेतु निवेदन किया जिस पर उक्त पत्रावली दिनांक 27.05.2024 को रखी गई परन्तु दिनांक 27.05.2024 से 02.06.2024 तक पीठाशीन अधिकारी अवकाश पर रहने के कारण दिनांक 03.06.2024 को उक्त स्टे प्रार्थना पत्र पर बहस हुई। इस बीच रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने राजस्व कर्मचारियों से साठ गांठ करके बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 22.05.2024 को मंगवा लिया गया उसी दिन उसे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत करके फाइलन डिक्री व आदेश अवैधानिक तौर पर पारित करवा लिया गया इस कारण उक्त फाइनल डिक्री एवं आदेश कानून निरस्त योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.05.2024 को इजराय प्रस्तुत करते समय उनसे पूछा गया कि प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 01.05.2024 की अपील हुई या नही हुई इस पर रेस्पोडेन्ट न0 1 राजेन्द्र कुमार मीणा ने अपील के बारे मना कर दिया जबकि वास्तव में अपील दिनांक 20.05.2024 को सम्मानीय न्यायालय में पेश कि जा चुकी थी परन्तु रेस्पोडेन्ट नं. 1 राजेन्द्र कुमार मीणा ने गलत तौर पर अधीनस्थ न्यायालय को भ्रमित करते हुए उक्त फाइलन डिकी व आदेश पारित करवा लिया गया इस कारण उक्त फाइनल डिक्री एवं आदेश कानून निरस्त योग्य है। साथ ही योग्य अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड में इसी भूमि के सभी खसरा नम्बर पर दावा बटवारा नं0 596/2017 अभी भी चल रहा है जिसकी आगामी पेशी 02.07.2024 को है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा संख्या 770/2019 के फैसला दिनांक 01.05.2024 को खारिज करवाकर राजेन्द्र कुमार पर धोखाधडी की कार्यवाही फरमाई जाये। अतः अपील प्रस्तुत कर विन्रम निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फाइनल डिक्री एवं आदेश दिनांक 23.05.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये गये दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

तीनों अपीलें प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हमने अधीनस्थ न्यायालय मय जवाब काउण्टर क्लेम पेश किया। शपथ पत्र साक्ष्य वादी पेश हुआ बयान नहीं हुए। दस्तावेज प्रमाणित नही है और ना ही प्रदर्श है। जब तक बयान नही होते है तो प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य में नहीं पढे जा सकते। हमारा काउण्टर क्लेम गलत खारिज किया गया है।

बंटवारें का प्रस्ताव दिनांक 23.05.2024 को तहसीलदार ने तैयार नहीं किया जबकि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार ही अधिकृत है। हमने बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति की थी। प्राथमिक डिक्री की अपील पेश होने के बाद दिनांक 23.05.2024 को इजराय पेश की लेकिन वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झूठ बोलकर अंतिम डिक्री जारी करवा ली। बंटवारा रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गयी है जबकि तहसीलदार को रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए जो नहीं की गयी। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.05.2024 तथा निर्णय एवं फाईनल डिक्री दिनांक 23.05.2024 अपास्त कर पत्रावली रिमाण्ड फरमायी जावे। अपने पक्ष के समर्थन में सीपीसी आदेश 17, तथा Avidence act 137, RBJ 2024 page 441, RBJ 2024 Page 48, RBJ 2021 Page 725, RBJ 2022 Page 138, RBJ 2022 Page 465, RRD 2019 Page 206, RRD 2019 Page 577 उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि आदेश 41 नियम 27 में जो रजिस्ट्री पेश की है उसमें खसरा नं. 266 की भूमि पर कट लगा है और यह भूमि अपीलांट को बेची ही नहीं गयी। मुख्य रिलीफ रजिस्ट्री खारिज कराने का नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को सुनने का अधिकार है। अन्य पक्षकारान उपस्थित ही नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं विधि के अनुरूप है। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 14,15,16,17,19,20,24 ने अपनी बहस में कथन किया कि आदेश 41 नियम 27 में जो रजिस्ट्री में हम विक्रेता है हमने मयंक को जो जमीन बेची है, उसमें खसरा नं. 266 भी बेचा है हमने कहीं भी उपपंजीयक द्वारा कटिंग को प्रमाणित नहीं किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के साथ दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज प्रकरण से संबंधित होने के कारण न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

रेस्पोडेंट कम 1 वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद प्रस्तुत कर वादपत्र की मद नं. 1 लगायत 5 में वादग्रस्त आराजी का अंकन करते हुए कथन किया है कि मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी में वादी का 1/10 हिस्सा व मद नम्बर 2 लगायत 5 में 03/20 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है जिसका आपसी विभाजन वादी तथा प्रतिवादीगण 1

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

लगायत 27 के बीच हो रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 27 अपने कब्जे के अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। मद नम्बर 1 लगायत 5 में दर्ज आराजियात शामलाती होने के कारण वादी अपने हिस्से की आराजियात को और अधिक उपजाउ नहीं बना पा रहा है। अतः दावे की मद नं. 1 लगायत 5 में वर्णित आराजियात का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजियात का समान रूप से कानून सम्मत विभाजन किया जावे तथा जो आराजियात वादी के हिस्से में आवे, उस पर वादी को माप कर कब्जा दिलाया जावे एवं वादी का खाता अलग से कायम किया जाकर नक्शे में तरमीम की जावे। प्रतिवादीगण कम संख्या 9,14,15,16,17,18,19,21,22 व 26 की ओर से जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया गया। काउंटर क्लेम में उक्त प्रतिवादीगण द्वारा विशेष आपत्तियां भी दर्ज करवाई गई। वादी द्वारा जवाब दावा एवं काउंटर क्लेम का जवाब उल जवाब पेश किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दावा एवं प्रतिवादीगण कम संख्या 9,14,15,16,17,18,19,21,22 व 26 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा मय काउंटर क्लेम के आधार पर दिनांक 22.02.2024 को तनकीयात कायम की गई। साक्ष्य वादी में दिनांक 18.03.2024 को वादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 23.04.2024 के अनुसार वकील फरीकेन की इस्तदुआ पर बहस सुनी गई, अंकित किया गया है परंतु पत्रावली पर सहमति के रूप में अधिवक्तागण के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। तत्पश्चात दिनांक 01.05.2024 को सीधे ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि वकील उभयपक्षकारान ने दौराने बहस यह बताया कि वाद में जो पक्षकारान जहां काबिज है मौका एवं कब्जे के अनुसार बंटवारा कर दिया जावे वकील फरीकेन की बहस को स्वीकार करते हुए वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम साबित नहीं होने से खारिज किया जाने योग्य है, "आदेश दिया जाता है कि ग्राम रलायता तहसील झालरापाटन की जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या नया 95 के खसरा नम्बर 156/561 रकबा 1.0622 हैक्टर भूमि में से वादी का 1/10 हिस्सा एवं खाता संख्या 255 के खसरा नं. 265 रकबा 1.3530 हेक्टर, खाता संख्या 96 की कुल किता 4 कुल रकबा 4.9316 हेक्टर, खाता संख्या 257 के खसरा नम्बर 866/266 रकबा 1.1254 हेक्टर, खाता संख्या 251 की कुल किता 3 कुल रकबा 1.9979 हेक्टर भूमि मे से वादी का 3/20, 3/20 हिस्सा पृथक खाते दर्ज किया जावे। तहसीलदार झालरापाटन "राजस्थान अभिघृति (राजस्व मण्डल) नियम 1955" की अध्याय 04 में नियम 18 से 21 में प्रकिया अनुसार मौका कब्जा अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवावे। प्राथमिक डिक्री जारी हो।"

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उभयपक्षकारान की आपसी सहमति या समझौते के कम में कोई दस्तावेज या राजीनामा उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि पक्षकारान द्वारा मौका एवं कब्जे के अनुसार बंटवारा करने की सहमति दी हो। केवल उभयपक्षकारान के अभिवक्तागण ने दौराने बहस यह बताया या इस्तदुआ की, इतना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली की आदेशिका एवं अपने निर्णय में लिखने मात्र से पक्षकारान की सहमति होना स्वीकार करने योग्य नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत दावे कें प्रतिउत्तर में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा मय काउंटर क्लेम विशेष आपत्तियों के साथ प्रस्तुत किया गया था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को मौके व कब्जे के

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अनुसार बंटवारा करने की पक्षकारान की सहमति भी लिखित रूप में मयहस्ताक्षर प्राप्त करनी चाहिए थी अन्यथा दिनांक 01.05.2024 को निर्णय पारित करते समय मौका एवं कब्जे के अनुसार बंटवारा करने की पक्षकारान की सहमति के संदर्भ में पत्रावली की आदेशिका पर पक्षकारान के हस्ताक्षर करवाने चाहिए थे, जो नहीं करवाये गये।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2024 को जारी निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के संदर्भ में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व तहसीलदार झालरापाटन द्वारा अपने पत्र क्रमांक 285/रीडर/2024 दिनांक 22.05.2024 से उपखण्ड अधिकारी झालावाड से मार्गदर्शन चाहा गया। इस पत्र के बिन्दु संख्या 2 में लिखा गया है कि वादी का मौके पर कब्जा खसरा नं. 966/266 रकबा 1.1254 हैक्टर पर बताया गया है, जो एन.एच.52 पर स्थित है। अन्य खातेदार प्रतिवादीगण भी अपना हिस्सा मुख्य सडक से लेना चाहते है। इसी प्रकार बिन्दू संख्या 3 में लिखा गया है कि वादी का अन्य खसरा नं. पर भी कब्जा नहीं है चूंकि 3/8 हिस्सेनुसार 1.5173 हेक्टर बनता है, जो खसरा नं. 966/266 रकबा 1.1254 हैक्टर के अतिरिक्त 0.3919 हैक्टर की आवश्यकता होगी। इस मार्गदर्शन पत्र का जवाब उपखण्ड अधिकारी झालावाड द्वारा तथ्यों की जांच किये बिना ही उसी दिन दिनांक 22.05.2024 को अपने पत्र क्रमांक : रीडर/2024/209 दिनांक 22.05.2024 से प्रेषित किया गया। तहसीलदार झालरापाटन द्वारा मार्गदर्शन हेतु प्रेषित पत्र से यह तथ्य स्पष्ट हो चुका था कि खसरा नं. 966/266 रकबा 1.1254 हैक्टर की आराजी एन.एच. 52 पर स्थित है और अन्य खातेदार प्रतिवादीगण भी अपना हिस्सा मुख्य सडक से लेना चाहते है। इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार को प्रेषित जवाब मार्गदर्शन पत्र के बिन्दु संख्या 2 में मुताबिक डिक्री मौका एवं कब्जे अनुसार बंटवारा तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। उपखण्ड अधिकारी का यह कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के स्थापित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 23.05.2024 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। बंटवारा प्रस्ताव पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार कर तहसीलदार झालरापाटन को प्रेषित किया गया जिस पर तहसीलदार ने केवल अपने हस्ताक्षर अंकित करते हुए प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव को अपने पत्र दिनांक 23.05.2024 से उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित कर दिया। तहसीलदार द्वारा अपने पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि बंटवारों प्रस्ताव तैयार करने हेतु संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का खानपुरिया को भिजवाया गया जिनसे प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव मय अनुशंसा कर वास्ते अग्रिम कार्यवाही प्रेषित है। इससे स्पष्ट है कि बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने के लिए तहसीलदार मौके पर नही गये। बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है। इससे भी यही स्पष्ट होता है कि उभयपक्षकार बंटवारा प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। बंटवारा प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि मौके पर वादी उपस्थित रहा एवं प्रतिवादीगण समस्त उपस्थित नहीं रहे। वादी का खसरा नं. 966/266 रकबा 1.1254 हेक्टर एन.एच. 52 पर स्थित है जिसे लेकर प्रतिवादीगण मयंक एवं दामोदर मीना को आपत्ति है। बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति होना स्पष्ट रूप से अंकित होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ना तो ध्यान दिया

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

और ना ही प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को रिकार्ड पर लेकर उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किया। इसके विपरीत दिनांक 23.05.2024 को प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर उसी दिन दिनांक 23.05.2024 को निर्णय पारित करते हुए फाइनल डिक्री जारी की गई, जो विधिसम्मत नहीं मानी जा सकती। तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व दिनांक 22.05.2024 को उपखण्ड अधिकारी से बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने के कम में मार्गदर्शन मांगना, उपखण्ड अधिकारी का चाहेग गये मार्गदर्शन के संदर्भ में तथ्यों की जांच किये बिना उसी दिन दिनांक 22.05.2024 को मार्गदर्शन हेतु तहसीलदार को पत्र प्रेषित करना। तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा दूसरे ही दिन पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक से बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर मंगवाते हुए अपने पत्र दिनांक 23.05.2024 के साथ उपखण्ड अधिकारी को भिजवाना और उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रतिवादीगण की आपत्ति के बावजूद दिनांक 23.05.2024 को निर्णय पारित करते हुए फाइनल डिक्री जारी करना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरण के संदर्भ में अपनाई गयी सम्पूर्ण प्रकिया पर गहरा संदेह उत्पन्न करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन बंटवारे के प्रकरण में विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.05.2024 तथा निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 23.05.2024 विधिसम्मत नहीं होनेके कारण खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें अपील संख्या 2024/63 (प्राथमिक डिक्री), अपील संख्या 2024/64 (काउंटर क्लेम) एवं अपील संख्या 2024/79 (फाइनल डिक्री) आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.05.2024 एवं निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 23.05.2024 खारिज की जाती है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पूर्व में कायम की गई तनकीयात पर उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीवार विश्लेषण के पश्चात पुनः नये सिरे से निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी करे, तत्पश्चात तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर राजस्थान अभिघृति (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किया जाए। प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुनवाई एवं आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात आपत्ति प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त आपत्तियों का विधिवत् निस्तारण करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय व फाइनल डिक्री जारी करे। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.02.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/01/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा